

अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड

कठूमर जिला अलवर

तारीख रजु.....

केला

बनाम

लक्षमण

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.1.2019	<p>वकील सायला उपरिथत। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील सायला ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायला को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायला के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0नं0 407 रकबा 0.77 है0 का 1/10 हिस्सा ,खसरा नं. 413 रकबा 0.48 है0 ,खसरा नं. 426 रकबा 0.72 है0 ,खसरा नं. 924 रकबा 0.27 है0 किता 2 रकबा 1.47 है0 का 1/10 हिस्सा वाके ग्राम बसेठ तहसील कठूमर में विवादित आराजियात की रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 11.2.2019 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 11.2.2019 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p>	<p>59 16/1/19</p>

11/2/19

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर जिला अलवर

बाबत यह पत्रावली पेश हुई बाबत एसी कार्य स्थगित किया। पत्रावली दिनांक 25/3/19 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर कठूमर (अलवर)

25/3/19

कठूमर जिला अलवर P.O.
बाबत 25/3/19 पत्रावली दिनांक 13/5/19 को पेश हो।



10/1/24 सुभाष चंरीकर एच.ए.ए.
राष्ट्रिय युवा केंद्र
आपकी दिनांक 12/1/24
को पत्र हो।

12/1/24

सुभाष चंरीकर एच.ए.ए.
राष्ट्रिय युवा केंद्र
आपकी दिनांक 21/5/24
को पत्र हो।

11/5/24 कनील जमी उपाह्वित नहीं आपे कनील
जमी को वर - 2 आकाज डिपॉजिट गडि
कोई उपाह्वित नहीं आपे। अतः एक जमी
का प्रमाण - पत्र 22-2008 कनील जमी के अहक
में - अहक राजकी में खपित डिपॉजिट जात
है। पत्रावली में मल हुआ है 21-12-2008
अहक ही।

5004 → 21/5/24